निवेशकों को मिलेगी अलग जीएसटी नंबर लेने की छूट

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उद्यमी व कारोबारी अब यूपी में एकल जीएसटीआईएन (गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईडेंटीफिकेशन नंबर) के साथ पृथक जीएसटी नंबर भी ले सकेंगे। इस तरह निवेशकों व उद्यमियों को जीएसटी नंबर के संबंध में दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। इससे जीएसटी की प्रतिपूर्ति में आ रही दिक्कतों से जूझ रहे मौजूदा निवेशकों को अब राहत मिलेगी।

यह दोनों विकल्प उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति के मानक संचालन प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे। इससे भविष्य में उद्यमियों को कारोबार करने में आसानी होगी। यह निर्णय पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाईपावर कमेटी ने लिया है। कमेटी ने तय किया कि यदि निवेशक एक जीएसटीआईएन के साथ कार्य करना चाहता है तो उसे यह विकल्प उपलब्ध होगा। ऐसी दशा में प्रोत्साहन प्राप्त इकाई द्वारा पृथक रूप से नई इकाई में सृजित होने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) व देय जीएसटी का विवरण चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित कराकर रखना अनिवार्य होगा।

यह थी विसंगति

जीएसटी कानून एक राज्य के भीतर स्थित बहु-इकाई संचालन के लिए एकल जीएसटी पंजीकरण की अनुमति प्रदान करती है, जब कि निवेश नीति के प्राविधान पृथक जीएसटीआईएन की अनिवार्यता निर्धारित करते हैं। इससे निवेशकों के सामने विसंगति आ गई। असल में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति निवेशकों को की जाती है।

कई कंपनियों ने समस्याओं को रखा था सामने

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के एसओपी में पृथक जीएसटीआईएन की बाध्यता यह कहते हुए की गई है कि इससे नेट एसजीएसटी की राशि आंकलित करने में आसानी होती है। परन्तु उपरोक्त व्यवस्था से कई कंपनियों को व्यवसाय करने में परेशानी आने लगी। वरुण बेवरेजेज लिमिटेड, पासवाड़ा पेपर्स लिमिटेड, बलरामपुर चीनी मिल समेत कई कंपनियों ने इस बाबत अपनी समस्याओं को कमेटी के सामने रखा था।